न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
99/2022	01.11.2022	18-6-2025

प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी घास मण्डी गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी।

—प्रार्थी

बनाम

1. सुरेश चन्द सिंघल पुत्र स्व. मोहनलाल सिंघल निवासी गंगापुर सिटी
2. अब्दुल जलील खान पुत्र अब्दुल वहीद, मुसलमान निवासी गंगापुर सिटी
3. मधु आर्य पत्नि जगदीश प्रसाद आर्य नि0 कर्मचारी कॉलोनी गंगापुर सिटी
4. शिखर चन्द जैन पुत्र मूल चन्द जैन नि0 बामनवास (मृतक—नाम हजफ)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री वृद्धि चन्द शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एड., अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के पिता स्व0 राधेश्याम की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 255/606 रकबा 0.05 है0 ग्राम गंगापुर सिटी में स्थित है तथा इस गैरमुमकिन चाह की भूमि को प्रार्थी के स्व0 पिता उपयोग उपभोग में लेते रहे है। प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 11.11.2018 को हो गया है। प्रार्थी के भाई हेमन्त का दिनांक 18.08.2022 को स्वर्गवास हो गया है। जबसे प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 13 उक्त खसरा नम्बर 255/606 रकबा 0.05 है0 गैर मुमकिन चाह का उपयोग उपभोग कर रहे है तथा कुंए को पट्टियों से ढक रखा है। कुएं के पीछे प्रार्थी की चार गह पाटोर बनी हुई है एवं कुएं के पास प्रार्थी ने नींव खोदकर दासाबन्दी बना रखी है एवं दासाबन्दी बनाकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। अप्रार्थीगण का उपरोक्त चाह से किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने अपने दासाबन्दी की भूमि पर कुएं की तरफ वाली दिशा में ईंटों की एक लम्बी दीवार बना रखी थी। अप्रार्थीगण ने बिना किसी कानूनी अधिकार एवं खातेदारी अधिकार के प्रार्थी की पक्की दीवार के पास एक पिछली दीवार का निर्माण ईंटो से दिनांक 27.10.22 से चालू कर दिया है। जिसका प्रार्थी ने दिनांक 28.10.2022 को सुबह 9:00 बजे गैर कानूनी निर्माण करने पर एतराज किया जिससे अप्रार्थीगण के मौके पर उपस्थित प्रतिनिधी प्रार्थी से नाराज हो गये एवं कहा कि वे अप्रार्थीगण के आदेश पर खसरा नम्बर 255/606 गैर मुमकिन चाह की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:39:53 IST
Reason: SelfAttested

एवं मजिस्ट्रेट ... गंगापुर सिटी (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

मे गैर कानूनी निर्माण कर प्रार्थी को खातेदारी से बेदखल करेंगें। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम खातेदार में अंकित है। दावे में वर्णित प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 13 तथा प्रार्थी का हित एक समान है। वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी एवं दावे में वर्णित प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 13 को प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद वारिसान होने के नाते प्राप्त हो गयी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा भूमि खसरा नम्बर 255/606 रकबा 0.05 हे0 गैर मुमकिन चाह में कुएं को नष्ट नही करें तथा वादी के द्वारा बनायी दासाबन्दी पर व लम्बी दीवार को नष्ट नहीं करें। प्रार्थी एवं दावे में वर्णित प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 13 के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें नाहीं किसी अन्य प्रतिनिधि से उत्पन्न करावें। प्रार्थी द्वारा किये गए निर्माण को नष्ट नही करें तथा उक्त गैर मुमकिन चाह को किसी भी प्रकार से रहन विक्रय या अन्य प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 तथा उनके प्रतिनिधी को आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे प्रार्थी तथा दावे में प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 13 के आधिपत्य में बनायी गयी गैर कानूनी दीवार को स्वयं के खर्चे से हटा ले अथवा पुलिस इमदाद से पिछली दीवार हटवाई जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की मृत्यु हो जाने के कारण उसका नाम हजफ किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी के पिता राधेश्याम ने अपनी उक्त समस्त भूमि को जरिए इकरारनामा सुरेश चंद सिंघल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन, अप्राथी अब्दुल जलील एवं मधु आर्य तथा शिखर चंद जैन को दिनांक 23.8.2008 को विक्रय कर दिया था। विक्रय की राशि प्राप्त कर मौके पर कब्जा संभला दिया था तभी से उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। इकरारनामा दिनांक 23.08.2008 को प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थीगण के मध्य तहरीर किया गया था। उसमें दोनों ही पक्ष[illegible]य यह शर्त तय हुई थी कि कुए में पानी सूख चुका है [illegible] अप्रार्थीगण अपने खर्चे से जानवरों को पानी पीने के लिए [illegible] करेंगे तथा एक मंदिर की जगह खाली छोड देंगे लेकिन जो मंदिर की [illegible]ह प्रार्थी के पिता राधेश्याम ने ख0नं0 255/606 में से खाली छुडवाई थी। इस जगह को मंदिर बनवाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:59:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

लिए प्रार्थी एवं राधेश्याम के अन्य वारिसों ने ट्रक यूनियन गंगापुर सिटी को दान कर दी कि ट्रक यूनियन गंगापुर सिटी उक्त दान की गई भूमि में सार्वजनिक मंदिर निर्माण कर लेगा । अप्रार्थीगण द्वारा इकरारनामे में दर्ज किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है लेकिन प्रार्थी द्वारा गलत आधारों पर यह टी0आई0 पेश की है जो खारिज होने योग्य है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के आदेश से नायब तहसीलदार एवं हलका गिरदावर एवं हलका पटवारी द्वारा ख0नं0 255/606 की मौका रिपोर्ट दि0 17.11.2022 को तैयार की थी जिस पर ख0नं0 255/606 में कोई निर्माण नहीं पाया गया। प्रार्थी द्वारा राधेश्याम के वारिसों से मिलकर पुनः अप्रार्थीगण से रूपए ऐंठने के उद्देश्य से गलत आधारों पर यह टी0आई0 पेश की है जबकि प्रार्थी व राधेश्याम के अन्य वारिसों द्वारा तहरीर किए गए इकरारनामा दि0 23.8.08 से पाबंद है उसके बाबजूद भी उनके द्वारा बिना कब्जे के गलत आधारों पर यह टी0आई0 प्रा0पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। दिनांक 27.10.2022 व 28.10.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया जो मौका रिकार्ड दिनांक 17.11.2022 से पूरी तरह साबित है। अप्रार्थीगण भूमि ख0नं0 255/605 रकवा 0.15 है0 पर निर्माण कार्य कर रहे हैं जो 90(बी) में नगर परिषद् के नाम दर्ज हो चुका है तथा 90(बी) में दर्ज हुई भूमि के सम्बन्ध में भी अदालत हाजा को टी0आई0 सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इस आधार पर टी0आई0 खारिज होने योग्य है। प्रार्थी व राधेश्याम के अन्य वारिसों ने दुरभि संधि करके अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से रूपए ऐंठने के उद्देश्य से यह टी0आई0 गलत आधारों पर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस साबिक नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण का बखूबी साबित है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी को कोई अपूर्तिदायक हानि नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि टी0आई0 प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सम्बत् 2072 से 2075 खाता संख्या 135 ग्राम गंगापुर प्रस्तुत की है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:59:33 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता स्व0 राधेश्याम

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान इसका नियमानुसार उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण ने बिना किसी कानूनी अधिकार के वादग्रस्त भूमि पर स्थित प्रार्थी की पक्की दीवार के पास एक पिछली दीवार का निर्माण ईंटों से दिनांक 27.10.2022 को चालू कर दिया। निर्माण नहीं करने हेतु प्रार्थी ने जब मना किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखली की धमकी दी। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत टी0आई0 प्रा0पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को टी0आई0 से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता राधेश्याम ने जरिए इकरारनामा अप्रार्थीगण सुरेशचन्द सिंघल, अब्दुल अजीज, मधु आर्य तथा शिखरचन्द जैन को दिनांक 23.8.2008 विक्रय कर दिया एवं राशि प्राप्त कर भूमि पर कब्जा करा दिया तभी से अप्रार्थीगण भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से पैसा ऐंठने के उद्देश्य से यह दावा व टी0आई0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। अतः टी0आई0 प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलबध अभिलेख अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 135 ग्राम गंगापुर प्रार्थी के पिता राधेश्याम की खातेदारी में गै0मु0 कुआ के रूप में दर्ज है। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी के पिता राधेश्याम ने दिनांक 23.8.2008 को वादग्रस्त भूमि का जरिए इकरारनामा अप्रार्थीगण को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था। हालांकि अप्रार्थीगण ने अपने जबाव के साथ इस विक्रय इकरारनामे की प्रति प्रस्तुत नहीं की है परन्तु दावा पत्रावली में उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 23.08.2008 के अवलोकन से विदित है कि यह एक अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड विक्रय पत्र है जो पचास रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा गया है। इसमे भूमि ख0न0 255/605 रकबा 0.15 है0 एवं ख0न0 255/606 रकबा 0.05 है0 दोनो को मिलाकर भूखंड बनाये गये है व इनका विवरण दिया गया [illegible] भी अंकित है कि "इसके अलावा इस भूमि मे पूर्व की ओर एक [illegible] है जिसमे पानी नही है, इस कुए वाली जमीन पर भविष्य [illegible], पशुओ अथवा प्याऊ के लिए बनाया जावेगा। जिसमे क्रेता एवं विक्रेता दोनो पक्ष सहमत है तथा दोनो ही पक्षों को उक्त मंदिर अथवा प्याऊ का निर्माण मिलजुल कर करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:59:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

का अधिकार होगा।" इस प्रकार इस विक्रय पत्र में उल्लेखित विवरण के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का स्पष्ट रूप से कब्जा साबित नही हो रहा है। वैसे भी यह अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्प दस्तावेज है। जिसके आधार पर इस टीआई प्रार्थना पत्र मे कोई स्पष्ट निर्णय नही किया जा सकता है। वर्तमान मे वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता स्व0 राधेश्याम के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष मे नही होकर प्रार्थी के पक्ष मे जाता है। फलस्वरूप प्रार्थी का टी.आई. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1.11.2022 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म करते हुए अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय होने तक भूमि ख0न0 255/606 रकबा 0.05 है0 ग्राम गंगापुर तहसील गंगापुर सिटी मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे एवं भूमि की मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 18/01/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:59:33 IST
Reason: SelfAttested